न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– बाबी देवी उम्र 65 वर्ष वगैरह .....।

बनाम

वाद सं0 15/2020

द्वितीय पक्ष– महेश नाग बगैरह .....।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 26/3/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 09/2020 दिनांक 06/08/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) बाबी देवी उम्र 65 वर्ष पति बालमुंकुंद ओहदार (2) बालमुकुंद ओहदार उम्र 70 वर्ष पिता स्व0 करमदेयाल ओहदार (3) विश्वानाथ ओहदार उम्र 45 वर्ष सभी ग्राम बिकमा थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) महेश नाग उम्र 45 वर्ष पिता रामप्रसाद नाग (2) लोकनाथ नाग उम्र 35 वर्ष पिता रामप्रसाद नाग सभी ग्राम बिकमा थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा बिकमा के खाता सं0 48 प्लॉट सं0 164 रकबा 1.70 एकड़ भूमि में द्वितीय पक्ष द्वारा गलत तरीके से जबरजस्ती खेती करने संबंधी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– प्रथम पक्ष की ओर से प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि उक्त वाद जमीन विवाद से संबंधित है जो जमीन मौजा बिकमा थाना कामडारा खाता सं0 48 प्लॉट सं0 164 कुल रकबा 7.07 एकड़ जमीन प्रथम पक्ष बालमुकुंद ओहदार के दादा गणेश ओहदार को आपसी बटवारा में प्राप्त हुआ है। गणेश ओहदार के कुल तीन संतान खखडु ओहदार करमदयाल ओहदार तथा राम दयाल ओहदार हुए। उनके बीच ग्राम बिकमा की जमीनों का कभी बंटवारा नहीं हुआ तथा प्रथम पक्ष के सदस्य उन्हीं के वंशज है जो कुर्सीनाम से परलक्षित होती है। उक्त जीन आपस में सुविधानुसार करमदायाल ओहदार और रामदयाल ओहदार मौखिक बंटवारा कर संन 1978 से खेती करते आ रहे है उसमें महेष नाग प्रथम पक्ष के बोये धान पर जबरजस्ती ट्रैक्टर चला दिये जिसकी सूचना प्रथम पक्ष थाना में दिये। उक्त जमीन सम्मिलात जमीन है। जमीन अन्तर्गत मौजा बिकमा थाना कामडारा जिला गुमला खाता सं0 1. 2, 23, 48, एवं 49 कुल रकबा 20.74 एकड़ जमीन का दाखिल खारिज श्रीमति कलावती देवी के नाम से कामडारा अंचल के द्वारा मंजूर हो चुका था। जब यह जानकारी प्रथम पक्ष बाबी देवी के चाचा ससुर रामदयाल ओहदार को हुई तो रामदयाल ओहदार ने उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के यहॉ विविध वाद सं0 04/1977–78 दायर किये थे जिसमें खाता सं0 24, 48, 49 के संबंध में कलावती देवी के नाम से जो अलग रसीद काटने का आदेश अंचल अधिकारी कामडारा ने दिया था उसे रद्द कर दिया गया सिर्फ खाता सं 01 और 2 कलावती देवी के नाम से रसीद	

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

काटने का आदेश हुआ । और तदनुसार अंचल अधिकारी, कामडारा को जमाबंदी संशोधित करने का आदेश दिया गया।
उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष के सदस्य सन् 1978 ई से शांति पूर्वक दखलकार होकर जमीन पर खेती करते आ रहे है और वर्त्तमान में भी प्रथम पक्ष के सदस्यों का दखल व कब्जा है।द्वितीय पक्ष के लोग गलत तरीके से सम्मिलात जमीन को रजिस्ट्री करा लिये है और इस वर्ष प्रथम पक्ष के जमीन पर खेती करना चाहते है जिससे द्वितीय पक्ष के सदस्य के द्वारा कोई अप्रिय घटना हो सकती है। द्वितीय पक्ष के सदस्य कभी भी प्रथम पक्ष के सदस्यों से जमीन को लेकर मार पीट व खुन खराबा कर सकते है। जबकि प्रथम पक्ष शांति प्रिय व्यक्ति है और कानुन को मानने वाला है।

प्रथम पक्ष की ओर सें मारसेल मिंज पिता स्व0 एतवा उरॉव ग्राम विकमा थाना कामडारा के द्वारा व्यान दिया गया कि यह मुकदमा बाबी देवी का है। ये मुकदमा के दोनो पक्षो को जानता हूँ। दोनो पक्ष एक ही वंशज के है। मुकदमा जमीन को लेकर हुआ है विवादित जमीन बालमुकुंद ओहदार के कमा खा रहा है। दोनो पक्ष इस जमीन पर दावा कर रहे है। जमीन की लेकर कभी भी मारपीट की घटना हो सकता है।

प्रतिपरीक्षण में मारसेल मिंज पिता स्व0 एवता उरॉव ग्राम विकमा द्वारा ब्यान दिया गया की महेश नाग द्वितीय पक्ष के लोग गॉव में रहते है, विवादित जमीन विकमा गॉव में है। विवादित स्थल से नीची मेरा जमीन है। प्रथम पक्ष उस जमीन पर खेती बारी किये है। मैं किसी जमीन का खाता प्लॉट सं0 नहीं बता सकता हूँ। जमीन के बारे में नही जातना हॅ।

द्वितीय पक्ष की ओर से प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि द्वितीय पक्ष महेश नाग वो अन्य शांतिप्रिय एवं कानुन का पालन करने वाले है। प्रथम पक्ष लठैत का एक ग्रुप बनाये हुए है। लठैत के बल पर द्वितीय पक्ष को हमेशा परेशान करते है। विवाद में जिक्र किया गया जमीन द्वितीय पक्ष की खरीदगी जमीन है जमीन को खरीद कर दाखिल खारिज कर शांति पूर्वक दखल कब्जा में है। वर्त्तमान में धान का खेती किया गया था। द्वतीय पक्ष की ओर से किसी तरह का शांति भंग होन की सम्भावना नहीं है। द्वितीय पक्ष भूमि से संबंधित सभी कागजात (मौजा बिकमा खाता सं0 48 प्लॉट सं0 164 रकबा 1.70 एकड़ भूमि) की छाया प्रति कोर्ट में जमा किया गया है।

उक्त वाद में उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, प्रस्तुत गवाह का व्यान को सुनने एवं अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद मौजा बिकमा के खाता सं0 48 प्लॉट सं0 164 रकबा 1.70 एकड़ भूमि से संबंधित है। उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त हैं उक्त वाद् की कार्रवाई की समयावधि समाप्त होने एवं उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने की स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.09 13:49:37 +05:30
Location: 192.168.1.10

लेखापित ।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।